तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित PO साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/5/24 को पेश हो।
30/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित PO साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/5/24 को पेश हो।
15/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। PO साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/6/24 को पेश हो।
21/6/24	पत्रावली पेश हुयी। तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित। पक्षकारान की ओर से पूर्व में रास्ते हेतु सहमती पत्र पेश है। तहसीलदार नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **सिरोही** पटवार मण्डल **सिरोही** तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर 2136, 2208, 2245, 2234 में से **04 मीटर चौड़ा व 2212 मीटर** लम्बा **रास्ता गोविन्दपुरा सीमा से ढाणी जोहड़ी वाली में बनवारी** के मकानो तक प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। रास्ते के फोटो ग्राफ व खातेदारान के सहमती पत्र पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ता को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। अतः जनहित के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की

भूमि संबधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। सलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एव नक्शे मे तरमीम की जावें। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:39:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner